न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 05/2019 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. उगन्ता देवी पत्नी श्री मुठ्ठनराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
2. हरज्ञान पुत्र श्री मुठठनराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा,
3. कमलेश पुत्री श्री मुठ्ठनराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
4. गुडडी पुत्री श्री मुठ्ठनराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
5. माया पुत्री श्री मुठ्ठनराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,

..... अपीलांट

बनाम

1. हीराकंवर पत्नी स्व0 श्री चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
2. विद्यासागर पुत्र श्री दौलतराम जाति माली निवासी ए–28 हीराबास काली मोरी अलवर राज0

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1.श्री अमरसिंह पटेल, अभिभाषक अपीलांट
2.अभिभाषक रेस्पो0 अनुपस्थित।

::: निर्णय ::: **दिनांक :–25.02.2021**

यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 प्रार्थी संख्या 01 हीराकंवर ने अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 02 विद्यासागर के खिलाफ आराजी खसरा नंबर हाल 443/888 रकबा 0.34 है0 स्थित ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान के बाबत एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 हुक्मईम्तनाई दवामी तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर राजस्थान में पेश किया हुआ है। जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र पर तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 13.06.2016 विधि विरूद्ध पारित किया है। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया। साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायलय का आदेश खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ मौका है। प्रार्थी रेस्पो0 ने मिथ्या मनगढन्त तथ्यों व तारीख के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तहत अदालत में दायर किये हैं। उक्त विवादित आराजी हम अपीलांटस के पति व पिता श्री मुठठनराम ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 05.07.1973 को रेस्पो0 संख्या 01 हीराकंवर से खरीद की है और प्रतिफल की राशि अदा कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। जिस पर अपीलांटस आज तक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजी में हीराकंवर रेस्पो0 संख्या 01 के कोई हित व अधिकार निहित नही हैं, क्योंकि वह उक्त आराजी का विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार विक्रय कर उक्त आराजी के अपने समस्त अधिकार समाप्त कर चुकी है। उक्त आराजी के साथ अपीलांटस के पति व पिता ने अन्य उक्त खसरा नंबर साबिक 292 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा व 251 रकबा 7 बिस्वा हाल खसरा नंबर 442 रकबा 0.96 है0, 532/895 रकबा 0.09 है0 खरीद किये हैं, जिनका नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 24.09.1973 को दर्ज व तस्दीक हो चुका है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तकरण बय तस्दीक नही हो सका, जिसकी अपील स्वीकार हो चुकी है। लेकिन रेस्पो0 संख्या 01 हीराकंवर ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये गलत हथकण्डे अपनाकर हम अपीलांटस की खरीदशुदा आराजी को हडप करने के निहित उददेश्य से दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये हैं। रेस्पो0 संख्या 01 ने हम अपीलांटस के पति व पिता व हम अपीलांटस को जानकारी होने व वाद व प्रार्थना पत्र में हितबद्ध आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने के बावजूद पक्षकार मुकदमा बतौर बदयान्ती नही बनाया गया। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालतं कैम्प में बिना अपीलांटस को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया है। रेस्पो0 संख्या 01 कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की नैतिक एवं विधिक रूप से अधिकारी नही है। मौके की रूह एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्राईमाफेसी केस, सुविधा व न्याय का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति के बिंदु रेस्पो0 01 के हक में कतई

साबित नही थे लेकिन तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 के निस्तारण के लिये उक्त मुख्य तीनों बिंदु के आधार पर ना तो निर्णय पारित किया, ना तीनों बिंदुओं का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अलग अलग विवेचन किया। उक्त तीनों बिंदु रेस्पो0 संख्या 01 के पक्ष में किसी प्रकार साबित नही है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प दादर में अपीलांटस को बिना कोई पूर्व सूचना दिये, उनकी अनुपस्थिति में पारित किया है, जो मात्र राजस्व कैम्प में झूठे आंकडे एकत्रित करने की नियत से अपीलांटस को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया है। जबकि राजस्व लोक अदालत कैम्प में कानूनन पक्षकारान की सहमति व राजीनामा से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। हितबद्ध पीडित पक्षकार को बिना सुने प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर दिनांक 13.06.2016 अपास्त फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 13.06.2016 का अवलोकन किया।

विवादित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 55 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 292 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 251 रकबा 07 बिस्वा विक्रेता हीरा कंवर द्वारा जरिये पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 05.09.1973 को अपीलांट्स के पति एवं पिता को विक्रय किया गया।

साबिक खसरा नंबरान के हाल खसरा नंबर 443/888 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 442 रकबा 0.96 है0, 352/895 रकबा 0.09 है0 बने हैं। उक्त ख.नं. में से खसरा नंबर 55 हाल 443/888 के अलावा शेष का नामान्तकरण ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा 24.09.1973 को तस्दीक कर दिया गया था और इसी आधार पर क्रेता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। मिलान क्षेत्रफल से साबिक खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर बनना साबित है। अपील मीमो के साथ उक्त पंजीबद्ध विक्रय उल्लेख में साबिक खसरा नंबर का अंकन है, परन्तु जमाबंदी 2075 से 2078 में हाल खसरा नंबर 443/888 विक्रेता हीराकंवर पत्नी चन्द्रसिंह के नाम ही दर्ज चला आ रहा है। इस खसरे बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट में 15.09.2014 में अपीलांट का ही कब्जा होना माना है। इसी प्रकार पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.09.1973 में भी क्रेता को संपूर्ण आराजीयात पर कब्जा सौपने का अंकन किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 धारा 212 में प्रथमदृष्टया, सुविधा संतुलन व नापूर्ति क्षति के तथ्य को देखना होता है। उक्त विवेचित दस्तावेजों से बखूबी कब्जा अपीलांट का साबित है, कब्जा वैधानिक है। प्रार्थी का कब्जा है तो सुविधा संतुलन भी उसी के पक्ष में है। यदि अपीलांट को वैधानिक कब्जे से बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति होगी। परन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त तथ्यों का सही विवेचन नही करके विधिक त्रुटि कारित की है।

द्वितीय तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 30.09.2014 में प्रतिवादी को जरिये रजि0 ए.डी तलब करने के आदेश हैं परन्तु बिना इसकी पालना के ही एकपक्षीय निर्णय तहत अदालत द्वारा पारित किया गया है, जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 13.06.2016 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
25/2/21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर